



डॉ. एल.एल. पंवार
अधिष्ठाता
मो. नं. — 9413186294

ई-मेल coabhilwara@gmail.com
Website : www.coabhilwara.org

फोन एवं फेक्स: 01482-296118

कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा

(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)
पिन नं.—311 001 (राजस्थान)
पोस्ट बॉक्स नं0 — 61



No./COA/BHL/Tender/2025/ 297

Dated: 11.07.2025

निविदा सूचना संख्या — 02 (2025–26)

UBN No. : ATU2526SSOB00143

कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा में प्रशिक्षणात्मक फार्म पर कृषि कार्य, कार्यालय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु लेबर आपूर्ति राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर खुली निविदा 29.07.2025 तक पंजीकृत/रजिस्टर्ड संस्था से आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म वेबसाइट www.coabhilwara.org, www.mpuat.ac.in व www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा फार्म प्राप्ति व जमा कराने की अन्तिम तिथि 29.07.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक रहेगी तथा निविदाएं उसी दिन 2.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। फार्म जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क जमा करवाना आवश्यक होगा।

क. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि (रु.)	निविदा शुल्क
1.	कृषि महाविद्यालय में प्रशिक्षणात्मक फार्म पर कृषि कार्य, कार्यालय कार्य एवं अन्य कार्य हेतु अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु।	9.50 लाख रुपये	5.0 प्रतिशत (47500.00 रु.)	1000 रु.

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा

निविदा प्रपत्र

- निविदा विक्रय की अन्तिम दिनांक : 29 जुलाई, 2025 दोपहर 12.00 बजे तक
- निविदा प्राप्ति की दिनांक : 29 जुलाई, 2025 दोपहर 12.00 बजे तक
- निविदा खोलने की दिनांक : 29 जुलाई, 2025 (दोपहर 02:00 बजे)
- निविदा शुल्क : 1000 रु. नगद / डीडी (नॉन रिफण्डेबल)
1. रजिस्टर्ड सेवा प्रदाता संस्था का नाम :
2. संस्था का प्रकार (एन.जी.ओ. / प्लेसमेंट एजेन्सी):
3. अध्यक्ष का नाम :
4. स्थाई पता :
5. टेलीफोन नं. :
- अ. कार्यालय :
- ब. निवास :
- स. मोबाईल नं. :
6. एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन नम्बर / GST नं. :
(प्रतिलिपि रजिस्ट्रेशन संलग्न करें)
7. श्रम/रोजगार विभाग से पंजीकृत होने संबंधी :
पंजीयन क्रमांक व दिनांक
(पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
8. पेन नं. :
(पेन नं. प्रतिलिपि संलग्न करें)
9. विभाग से पत्र व्यवहार करने हेतु हस्ताक्षर :
करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम
मय पूरा पता व फोन नं.
10. धरोहर राशि रु. 47500.00 (सैतालीस हजार पांच सौ रुपये मात्र), डी.डी. निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय में जमा कराकर रसीद संलग्न करें।
11. डी.डी. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, भीलवाड़ा के नाम देय होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

डाक का पता.....

मोबाइल नं.



कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा

निविदा पत्र “ख”

क्र. सं.	पद का नाम	दर (रुपये) प्रतिमाह प्रति श्रमिक	वस्तु एवं सेवाकर प्रतिमाह प्रति श्रमिक	अन्य सेवा या कर प्रतिमाह प्रति श्रमिक
1.	अकुशल श्रमिक			
2.	अर्द्धकुशल श्रमिक			
3.	कुशल श्रमिक			
4.	उच्च कुशल श्रमिक			

निविदा दाता के हस्ताक्षर

नाम

डाक का पता

मो. नं.

अकुशल श्रमिक, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक की सेवाएँ अनुबंध पर लेने हेतु शर्तें :

1. निविदादाता निविदा को लिफाफो में ठीक प्रकार से सील बन्द करके प्रस्तुत करनी होगी, निविदायें जून, 2026 तक मान्य रहेगी ।
2. निविदा फार्म कार्यालय में 1000 रु. नगद /डी.डी. जमा करा कर प्राप्त किया जा सकेगा। अन्य कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. सेवा प्रदाता संस्था के वांछित दस्तावेज जैसे संस्था का पंजीकरण, प्रोपराइटर के पेन नं. (प्रतिलिपि) जी.एस.टी./वस्तु एवं सेवाकर (प्रतिलिपि) तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रेषित अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज (100 रु. का नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. लिफाफे पर “अकुशल श्रमिक, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल श्रमिक, हेतु निविदा” लिखा हुआ होना चाहिए।
5. निविदा में दरें स्पष्ट लिखी जावें, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. एक से अधिक संस्थाओं द्वारा समान दरें प्राप्त होने पर, किसी एक संस्था को स्वीकार करने का अधिकार कमेटी के अध्यक्ष का होगा।
7. सेवा संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मेन पावर पूर्णतः अस्थाई होगी तथा सेवा संस्था की अवधि समाप्त होते ही कार्य में लगाई मेन पावर स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। सेवा एजेन्सी द्वारा वही मेन पावर लगाई जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हो, कार्य में दक्ष हो व कार्यालय में स्वीकार हो।
8. निविदा में मेन पावर की वर्णित संख्या को कम व अधिक करना/कार्य विभाजन करने का पूर्ण अधिकार, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा को होगा तथा सेवा संस्था की दरें स्वीकार होने पर अधिष्ठाता द्वारा दिये गये कार्यों को दिशा-निर्देशन के अनुसार ही कार्य करना होगा।
9. सेवा संस्था द्वारा अवयस्क / असक्षम व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।

10. श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत लाइसेंस अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक है जो सेवा संस्था स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगी। श्रम नियमों की अनुपालना का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सेवा संस्था का होगा।
11. सेवा संस्था के कर्मचारियों द्वारा फार्म तथा महाविद्यालय के सामान को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। यदि किसी कर्मचारी द्वारा क्षति पहुंचाई गई तो सेवा संस्था द्वारा हर्जाना देना होगा।
12. कार्य पर लगाये जाने वाले कार्मिकों का पूर्ण ब्यौरा, फोटोग्राफ मय आई.डी. प्रुफ के प्रस्तुत करना होगा।
13. सेवा संस्था, महाविद्यालय के अधिष्ठाता की अनुमति के बिना कर्मिकों को परिवर्तित नहीं करेगी तथा जिसे कार्य पर लगाया है, वही सेवाएँ देगा।
14. श्रमिक संस्थान से प्राप्त होने वाले कृषि सम्बन्धी औजारों को कार्य होने के पश्चात पुनः केन्द्र पर जमा कराना होगा।
15. स्वीकृत सेवा संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रमिकों के फार्म पर, कार्यालय पर तथा अन्य कार्य करते समय किसी भी तरह की जनहानि जैसे सांप ईत्यादि का कांटना, कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति/अंगभंग, विद्युत लगना, जंगली जानवरों द्वारा नुकसान, प्राकृतिक आपदा (आग, जल आदि) आदि से जो भी कोई जन हानि होगी, उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वीकृत सेवा संस्था की होगी तथा कृषि महाविद्यालय का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा।
16. कार्य करने वाले श्रमिकों का बीमा आदि की समस्त जिम्मेदारी स्वीकृत सेवा प्रदाता संस्था की होगी।
17. प्रत्येक माह की पहली तारीख को स्वीकृत सेवा संस्था द्वारा कार्य करने वाले श्रमिकों का वेतन बिल कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. श्रमिकों का वेतन बिल प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक स्वीकृत सेवा संस्था द्वारा कार्यरत श्रमिकों को प्रस्तुत वेतन बिल की राशि का नकद भुगतान, कार्यस्थल (कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा) पर करना होगा। तत्पश्चात् कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत सेवा संस्था को चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस हेतु निविदादाता को 100 रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी कराकर निविदा प्रपत्र जमा कराते समय साथ में संलग्न करना आवश्यक होगा। 100 रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी कराकर प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
19. कार्मिकों को बताया गया कार्य समय पर नहीं करने पर, उक्त कार्य कृषि महाविद्यालय अन्य व्यक्तियों से करवायेगा जिसका सम्पूर्ण खर्च सफल निविदा दाता को देना होगा।
20. सफल निविदा दाता कार्मिकों को वेतन भुगतान राज्य सरकार के नियमानुसार ही करेगा।
21. निविदा प्रपत्र में दर्शायेनुसार धरोहर राशि को निविदा दाता को जमा करानी होगी। सफल निविदाकर्ता की राशि रोककर शेष की राशि लौटा दी जायेगी।
22. सेवा संस्था को उक्त कार्य करने के अनुभवों के पिछले तीन वर्षों में कम से कम पांच प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
23. पहले तकनिकी निविदा खोली जायेगी तथा इसमें सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी।
24. निविदा को स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सुवाणा, भीलवाड़ा के पास सुरक्षित होगा।
25. तकनिकी निविदा व वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में देनी होगी तथा दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में डालकर, ऊपर निविदा संबंधी सूचना लिखकर जमा कराना होगा।


अधिष्ठाता



तकनिकी निविदा

1. सेवा प्रदाता संस्था का नाम:
2. श्रम/रोजगार विभाग से पंजीकृत होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।
3. पेन कार्ड की छाया प्रति।
4. जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रति।
5. श्रमिक/चौकीदार आपूर्ति कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. धरोहर राशि (रू.) जमा कराने का प्रमाण पत्र (रसीद/डीडी)।

हस्ताक्षर निविदादाता

पूरा नाम :

पता :

